न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट चूरू

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार गौतम (आर.ए.एस)

इस्तगासा संख्या 2022/18 दायर दिनांक 08.04.2022

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक चूरू जिला चूरू (राजस्थान) –सायल–

बनाम

मुकेश उर्फ लाला पुत्र प्रेमलाल जाति लुहार उम्र 30 साल निवासी वार्ड नम्बर 02 भुतिया बास चूरू पुलिस थाना कोतवाली चूरू जिला चूरू –गैरसायल–

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राज. गुण्डा नियन्त्रण अधि0 1975

उपस्थित :–

1. अभियोजन अधिकारी (पैरोकार राज.) वास्ते सायल

निर्णय दिनांक : 06.10.2023

यह इस्तगासा पुलिस अधीक्षक चूरू द्वारा प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय में दर्ज ऑनलाईन किया गया। इस्तगासा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है गैरसायल मुकेश उर्फ लाला पुत्र प्रेमलाल जाति लुहार उम्र 30 साल निवासी वार्ड नम्बर 02 भुतिया बास चूरू पुलिस थाना कोतवाली चूरू जिला चूरू का रहने वाला है, जो अवैध जुआ सट्टा की खाईवाली करने का आदी है। समाज के नव युवकों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। गैरसायल के उक्त कृत्य पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। गैरसायल के विरूद्ध निम्नांकित मुकदमें दर्ज होकर सजायाब हुआ है :–

क.स.	मुकदमा नम्बर मय दिनांक	धारा	नाम थाना	चालान दिनांक	जे.एफ. नम्बर	नतीजा अदालत
1.	187/02.08.2018	13 RPGO	कोतवाली चूरू	15.12.2018	1126/2018	सजा 15.12.2018
2.	207/14.08.2018	13 RPGO	कोतवाली चूरू	09.01.2019	71/2019	सजा 09.01.2019
3.	220/25.08.2018	13 RPGO	कोतवाली चूरू	05.10.2019	220/20118	सजा 05.10.2019
4.	291/29.10.2018	13 RPGO	कोतवाली चूरू	15.12.2018	1131/2018	सजा 15.12.2018
5.	138/10.06.2019	13 RPGO	कोतवाली चूरू	05.02.2020	184/2020	पैण्डिग कोर्ट
6.	284/12.09.2019	13 RPGO	कोतवाली चूरू	05.02.2020	185/2020	पैण्डिग कोर्ट
7.	124/01.06.2020	13 RPGO	कोतवाली चूरू	24.07.2020	446/2020	सजा 24.07.2020
8.	85/13.08.2020	13 RPGO	कोतवाली चूरू	03.03.2021	363/2021	पैण्डिग कोर्ट
9.	115/26.10.2020	13 RPGO	कोतवाली चूरू	03.03.2021	365/2021	पैण्डिग कोर्ट
10.	139/10.12.2020	13 RPGO	कोतवाली चूरू	03.03.2021	364/2021	पैण्डिग कोर्ट
11.	239/20.09.2021	13 RPGO	कोतवाली चूरू	12.11.2021	1128/2021	पैण्डिग कोर्ट
12.	10/07.01.2022	13 RPGO	कोतवाली चूरू	24.01.2022	–	–

अतः इस्तगासा विरुद्ध मुकेश उर्फ लाला पुत्र प्रेमलाल जाति लुहार उम्र 30 साल निवासी वार्ड नम्बर 02 भुतिया बास चूरू पुलिस थाना कोतवाली चूरू को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही फरमाने का आदेश फरमावें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

2022/18

सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक चूरू बनाम मुकेश उर्फ लाला

गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। तामिल होने के उपरान्त गैरसायल स्वंय हाजीर होकर जुर्म के संबंध में माफी दर्ज कर माफ करने हेतु प्रार्थना–पत्र दिनांक 06.10.2023 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर जुर्म स्वीकार करना चाहता है तथा भविष्य में किसी प्रकार का जुर्म/कृत्य नहीं करेगा तथा प्रकरण इसी स्तर पर निस्तारित करने की कृपा करें।

पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी चूरू ने उपस्थित होकर अपनी बहस में कहा कि इस्तगासे के अनुसार गैरसायल के विरूद्ध 12 बार, 13 RPGO के अन्तर्गत दोष प्रमाणित है। गैरसायल अन्तर्गत धारा 3(3) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की परिभाषा में आता है। गैर सायल अपराधी गतिविधियों में भाग लेता है इसलिए गैरसायल को जिले से बाहर निष्कासित किया जावें ताकि समाज में शांति व्यवस्था कायम रह सके।

पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी चूरू की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भली–भान्ति अवलोकन किया गया। इस्तगासे के अनुसार गैरसायल के विरूद्ध 12 मुकदमें 13 आर.पी.जी.ओ. में दिनांक 02.08.2018, 14.08.2018, 25.08.2018, 29.10.2018, 10.06.2019, 12.09.2019, 01.06.2020, 13.08.2020, 26.10.2020, 10.12.2020, 20.09.2021 व 07.01.2022 के अनुसार प्रमाणित है। इस प्रकार राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा (3)(3) के अन्तर्गत गैरसायल गुण्डा की परिधि में आता है।

उपर्युक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक चूरू द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा धारा 3 राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम, 1975 विरूद्ध गैरसायल मुकेश उर्फ लाला पुत्र प्रेमलाल जाति लुहार उम्र 30 साल निवासी वार्ड नम्बर 02 भुतिया बास चूरू पुलिस थाना कोतवाली चूरू जिला चूरू स्वीकार किया जाता है तथा गैरसायल मुकेश उर्फ लाला को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत 15 दिवस के लिए थाना क्षेत्र से बाहर निर्वासित किया जाता है। थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली चूरू गैरसायल मुकेश को थानाधिकारी पुलिस थाना रतननगर को सुपुर्द करेंगे जो कि थानाधिकारी पुलिस थाना रतननगर की देखरेख में 15 दिवस के लिए रहेगा एवं प्रत्येक सोमवार को थानाधिकारी पुलिस थाना रतननगर में हाजरी देने हेतु उपस्थित होगा। निर्णय की प्रति पालना हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली चूरू व थानाधिकारी पुलिस थाना रतननगर तथा पुलिस अधीक्षक चूरू को भेजी जावें। पत्रावली बाद कार्यवाही अभिलेखागार भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार गौतम)
अति0 जिला कलक्टर एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, चूरू